बिक गया इंदौर का पानी

बिक गया
इंदौर का पानी

Bik Gaya Indore Ka Pani (Hindi)

लेखन – रेहमत

सहयोग – वसंत शिंत्रे, अमूल्य निधि, राकेश चांदोरे, प्रियंका, अंशुमन, श्रीपाद धर्माधिकारी

प्रकाशक

- मंथन अध्ययन केन्द्र
  दशहरा मैदान रोड़,
  बड़वानी (म.प्र.) 451551
  फोन – 07290 - 222857
  manthan.kendra@gmail.com
  Web. www.manthan-india.org
- शिल्पी केन्द्र
  22, शांति नगर, श्रीनगर एक्स.
  खजराना रोड़, इंदौर (म.प्र.)
  मोबा. – 94253 11547
  shilpikendra@gmail.com

प्रथम संस्करण – अप्रेल, 2007

सहयोग राशि – 5 रूपये न्यूनतम
(केवल निजी वितरण के लिए)

प्रकाशन सहयोग

- झुग्गी बस्ती संघर्ष मोर्चा, इंदौर
- इंदौर समर्थक समूह, इंदौर

मंथन अध्ययन केन्द्र

"मंथन अध्ययन केन्द्र" ऊर्जा, बिजली तथा पानी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करता है। वैश्वीकरण और निजीकरण से इन क्षेत्रों में हो रहे बदलावों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अध्ययन मुख्यतः पानी और उर्जा के सवालों पर केन्द्रित होकर समता, न्याय और स्थाई विकास के संदर्भ में है। अध्ययन वैश्वीकरण-निजीकरण की प्रक्रिया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की बदलती भूमिका, बदलते कानूनी ढाँचों से बदले परिवेश में पानी, ऊर्जा, बड़े बाँध, निजीकरण तथा इन क्षेत्रों के विकल्पों पर जारी है। समय-समय पर प्रकाशनों के माध्यम से इन अध्ययनों का प्रसार किया जाता है। विभिन्न संघर्षों, जन आंदोलनों, सामाजिक संस्थाओं आदि के साथ **'मंथन'** के जीवंत संपर्क है।

शिल्पी केन्द्र

'शिल्पी केन्द्र' एक स्वैच्छिक समूह है जो लोकहित में काम कर रहे जनसंगठनों व स्वैच्छिक संस्थाओं को सहयोग प्रदान करती है। साथ ही लोगों के जीवन व जीविका से जुड़े मुद्दों पर शोध, दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से समाज से संवाद करती है। छात्रों और युवाओं को सामाजिक मुद्दों के बारे में दिशानिर्देश करती है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को जनकेन्द्रित मुद्दों पर संवेदनशील बनाकर उन्हें समाजिक कार्यकर्ता के रूप में ढाला जा सके।

प्रस्तावना

अक्टूबर 2006 से इंदौर में पेयजल की दरें 60 से बढ़ाकर 150 रूपये/माह कर दी गई है। यह आम बढ़ौत्तरी न होकर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के कर्ज की शर्तों के तहत उठाया गया कदम था। इसी कर्ज की शर्तों के तहत पानी की दरें लगातार बढ़ाते रहने, शहर के सारे सार्वजनिक नलों को खत्म कर देने तथा जल व्यवस्था को बाजार के हिसाब से संचालित करने की शर्तें भी निकट भविष्य में पूरी की जानी है।

दिसम्बर 2004 में एडीबी ने इंदौर सहित प्रदेश के 4 शहरों को पेयजल संबंधी योजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। कर्ज के साथ राज्य सरकार और नगरनिगम ने अनेक शर्तें स्वीकार की है। सारी शर्तें लागू होने के बाद पानी के परम्परागत स्रोत भी जनता की पहुँच से बाहर हो जाएँगें।

जलदर बढ़ाते समय समाज में प्रतिक्रिया तो दिखाई दी। लेकिन जीवन के लिए जरूरी संसाधन को आम आदमी के हाथ में रखने के लिए सतत् और कड़ी प्रतिक्रिया की जरूरत है।

समाचार माध्यम और सरकार हमें लगातार इस बात का एहसास करवा रही है कि भारत पहली दुनिया के दशों में शामिल होने ही वाला है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। देश की विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक है। 200 बिलियन (20,000 करोड़) डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भण्डार है। सूचना तकनीक में दुनिया में हमारी धाक है। हम परमाणु शक्ति संपन्न देश है। और सबसे बड़ी बात कि विदेशी निवेशकों के लिए हमारा देश पहली पसंद बनकर उभरा है।

सिक्के का दूसरा पहलू भी है। देश की करीब 40 फीसदी आबादी गरीबी की लक्ष्मण रेखा में कैद है। कुपोषण, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कोई देश हमारी बराबरी नही कर सकता। घरेलू और छोटे उद्योग–धंधें बंद होते जा रहे हैं। कृषि प्रधान देश के किसान मौत को गले लगा रहे हैं। नौकरी की सुरक्षा खत्म कर ठेकेदारी प्रथा शुरू हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे लोगों के मूलभूत अधिकारों को नकारा जा रहा है। अधोसंरचना विकास के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर हो गए हैं।

विकास का एक बड़ा पैमाना है निवेश, जिसके लिए जरूरी है निजीकरण और उदारीकरण। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों और विभिन्न देशों की विकास एजेंसियों द्वारा अब बाजारीकरण को प्राकृतिक संसाधनों पर केन्द्रित किया जा रहा है, जिसके परिणाम भी अब दिखाई देने लगे हैं। एडीबी ने अपनी जलनीति 'वाटर फॉर आल' में सरकारों को नसीहत दी है कि वे ''सेवा प्रदाता के बजाय नियामक की भूमिका ग्रहण करें।'' इसके माध्यम से सरकारों को स्पष्ट संकेत दिया गया है कि अब 'सेवा' का कार्य निजी कंपनियों के भरोसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

एडीबी के इस कर्ज के साथ ही विश्व बैंक ने भी सिंचाई क्षेत्र सुधार हेतु एक कर्ज दिया है। अब ये वित्तीय ऐजेंसियाँ केवल कर्ज नहीं देती बल्कि ऐसी अनावश्यक शर्तें भी थोपती है जिनसे इनका धंधा हमेशा के लिए चलता रहे। इन एजेंसियों ने कर्जों की शर्तो के माध्यम से पूरा प्रयास किया गया है कि हमारा प्रदेश भी पानी की मण्डी में तब्दील हो जाये।

इस कर्ज के तहत इंदौर नगर निगम को मिलने वाली राशि का उपयोग मुख्यतः शहर में नर्मदा जल लाने में किया जाएगा। थोड़ा पैसा शहर के कुछ हिस्सों में नर्मदा जल प्रदाय को सुधारने, शहर के आंतरिक क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली बिछाने तथा ठोस कचरा प्रबंधन पर भी खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

संक्षेप में एडीबी कर्ज की शर्तों के तहत जो होगा उससे बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि समाज के एक बड़े वर्ग को पानी से भी वंचित कर दिया तो संभव है यहाँ भी बोलिविया की तरह गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाएँ। लेकिन हमारा प्रयास ऐसे हालातों को रोकने का होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है जीवन के आधार पानी को समाज से अलग करने के प्रयासों का विरोध।

इस पुस्तिका का उद्देश्य एडीबी कर्ज से आज जनता के जल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी उपलब्ध करवाना है। हम अपने इस प्रयास को सफल मानेंगें यदि यह पुस्तिका शहरवासियों के मन में अपने पानी के प्रति अपनापन जगा सके।

- मंथन एवं शिल्पी केन्द्र टीम

भारत एडीबी का पुराना ग्राहक है। बैंक द्वारा भारत को वर्ष 2004–07 के लिए लक्षित 210 करोड़ डॉलर (9450 करोड़ रूपये) सालाना कर्जों से संचालित कई परियोजनाएँ जल विद्युत, शहरी ढाँचागत विकास और पानी से सीधे संबंध रखने वाले हैं। इन कर्जों का मुख्य लक्ष्य 'नीतिगत एवं ढाँचागत सुधार' तथा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

एडीबी द्वारा दिसंबर 2004 में 'मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार' से एक कर्ज स्वीकार किया गया। इस कर्ज से भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में जलापूर्ति एवं जल–मलनिकास तंत्र का नियोजन–प्रबंधन, सुदृढ़ीकरण कर इसे अधिक प्रभावी, पारदर्शी और स्थायी बनाने का दावा किया गया है। कुल योजना खर्च 30.35 करोड़ डॉलर में से 20 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलेगा तथा शेष राशि प्रदेश सरकार तथा संबंधित शहरों को खर्च करनी पड़ेगी। पहले इस योजना में रतलाम और उज्जैन शहर भी शामिल थे। रतलाम नगरनिगम ने ऊँची ब्याज दर और सलाहकारों पर भारी खर्च का विरोध किया था।

25 वर्षों की अवधि वाले कर्ज पर 10.5 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना होगा। दिसंबर 2003 में स्वीकृत यह कर्ज (IND – 32254) की परियोजना सितंबर 2009 में पूर्ण होना है।

निवेश करने वाली संस्थाएं	राशि		प्रतिशत
	करोड़ डॉलर	करोड़ रूपये*	
एडीबी	20.00	900.00	65.90
म॰प्र॰ सरकार	5.06	227.70	16.67
लाभान्वित शहर	5.24	235.80	17.27
यू॰एन॰ हेबीटेट	0.05	2.25	0.16
योग	30.35	1365.75	100.00

* चूँकि परियोजना का आकलन डॉलर में किया गया है इसलिए रूपये में लागत परिवर्तित हुई है। एडीबी के संचालक मण्डल ने जब नवंबर 2003 में कर्ज स्वीकृत किया तब डॉलर का भाव 45.17 रूपये था जो इंदौर नगर निगम और मध्यप्रदेश सरकार के बीच अनुबंध के समय मार्च 2005 में बढ़कर 49.67 रूपये प्रति डॉलर हो गया था जो अप्रैल 2007 में 42.85 रूपये हो गया है। इसलिए परियोजना की रूपयों में लागत में समान नहीं होगी।

शर्तें

सार्वजनिक नल खत्म करो

एडीबी के अनुसार सार्वजनिक जलस्रोतों से 50 फीसदी पानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए गैर–राजस्व जल की मात्रा कम करने के नाम पर सार्वजनिक नलों को खत्म करने की शर्त रखी गई है। इस शर्त को मान लेना एक प्रकार से सरकार और नगरनिगम द्वारा लोगों का मूलभूत अधिकार नकारना है।

जो गरीब परिवार घर में नल कनेक्शन नहीं ले सकते उनके लिए संभव है कि प्रि-पेड सिम कार्ड वाली व्यवस्था लागू की जाये। पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर में एक व्यवस्था शुरू की गई है जिसके तहत प्रि–पेड कार्ड खरीदना पड़ता है। इसमें एटीएमनुमा नल में कार्ड स्वाईप करना पड़ता है। निकाले गए पानी के हिसाब से कार्ड में बैलेंस कम होता जाता है। बैलेंस खत्म होने पर पानी नहीं मिलता। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ गरीब लोग पानी के अधिकार से भी वंचित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी नलों में मीटर लगाने, भुगतान के अभाव में नल कनेक्शन काटने आदि का प्रावधान लागू करने की भी शर्त एडीबी ने रखी है।

टेक्स बढ़ाओ

जल कर और संपत्ति करों का युक्तियुक्तकरण यानी दरें बढ़ाने की शर्त रखी गई है। पहले चरण में इंदौर में अमीटरीकृत जलकर 60 रूपये से बढ़कर 150 रूपये प्रतिमाह करना था जो कर दिया गया है। 2009 में यह दर 190 रूपये मासिक हो जायेगी। मीटरीकृत दरें 10 घनमीटर तक प्रतिमाह खपत होने पर 6 रू./घमी, 20 घनमीटर तक प्रतिमाह खपत पर 9 रू./घमी और 20 घनमीटर प्रतिमाह से अधिक खपत पर 12 रू./घमी होगी। सारे कर और शुल्क वित्त वर्ष 2009 के बाद भी महंगाई से 1 प्रतिशत अधिक दर से बढ़ाये जाते रहेंगे।

संपत्ति कर (property tax) की दरों में शुरूआती 50% वृद्धि के बाद अप्रैल 2009 और उसके बाद हर 4 सालों में पुनः 20 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।

नये टेक्स लगाओ

इस कर्ज की विशेषता यह है कि इससे हमें ऐसे शुल्कों और करों के बारे में सुनने को मिलेगा जिनके बारे में पहले कभी सुना नहीं था। जल–मलनिकासी एवं स्वच्छता शुल्क और लागत वापसी शुल्क (कर्ज वापसी शुल्क) भी लगाये जायेंगें। जल–मलनिकासी एवं स्वच्छता शुल्क की दरें पानी के बिल की 25 प्रतिशत अतिरिक्त तथा 'लागत वापसी शुल्क' 30 रूपये प्रतिमाह की दर से लिया जायेगा।

गरीबों के नाम पर.....

मध्यप्रदेश के शहरों में 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते है जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। इसलिए एडीबी ने अपने ***'गरीबी में हस्तक्षेप'*** कार्यक्रम के अंतर्गत यह कर्ज स्वीकृत किया हैं जबकि इससे गरीबों का कोई भला नहीं होने वाला है। एडीबी ने बड़े गर्व से स्वीकार किया है कि परियोजना से मलिन बस्तियों में रहने वाले अत्यंत गरीब तबके के लोगों को सिर्फ यह लाभ होगा कि उनकी बस्तियों की सीमा तक पानी पहुंच जायेगा। अर्थात् गरीब लोगों को इस परियोजना से बाहर ही रखा गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार एडीबी परियोजना में शामिल शहरों की 24% जनसंख्या मलिन बस्तियों में निवास करती है।

वसूली में सख्ती करो

वसूली की दर बढ़ाने हेतु कर वसूली विभाग के निजीकरण का सुझाव दे दिया है। इसीलिए वसूली अमले को अकर्मण्य बताकर निलंबित किया जा रहा है ताकि यह काम निजी कंपनियों को सौंपा जा सके। ऐसा होने पर गुण्डों के माध्यम से वसूली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। निजी बैंकों और फायनेंसरों द्वारा जिस तरीके से वसूली की जाती है उससे हम अपरिचित नहीं है।

एडीबी परियोजना इंदौर में

एडीबी परियोजना का मुख्य लक्ष्य इंदौर में जल उपलब्धता बढ़ाना (नर्मदा तृतीय चरण) है। तृतीय चरण से मिलने वाला अतिरिक्त 360 एमएलडी पानी शहर की सन् 2024 की प्रस्तावित 33 लाख जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त बताया गया है।

6 सितंबर 2006 के अद्यतन आकलन के अनुसार एडीबी परियोजना 641.25 करोड़ की है जिसमें से 471 करोड़ नर्मदा योजना, 15 करोड़ जलमल निकास, 8.55 करोड़ जनजागृति एवं 146.7 करोड़ आकस्मिक एवं सलाहकारों पर खर्च किए जाएँगे।

परियोजना राशि का 65.82% एडीबी, 22.50%, राज्य सरकार तथा 0.18% यूनए हेबीटाट से प्राप्त होगा। शेष 11.50% (करीब 77 करोड़ रूपये) निगम को अंशदान देना होगा। लेकिन इस अंशदान राशि की व्यवस्था करना भी निगम के लिए संभव नहीं हो पा रहा है इसलिए निगम प्रयास कर रहा है कि उसे कहीं से अंशदान राशि हेतु एक नया कर्ज मिल जाए।

योजनानुसार नर्मदा तृतीय चरण का वार्षिक संचालन खर्च 175 करोड़ रूपये (कर्ज वापसी 43 करोड़, बिजली खर्च 82 करोड़ एवं संधारण व्यय 50 करोड़ रूपये) होगा अर्थात् इंदौर तक पानी पहुँचाने की लागत 18 रूपये/घमी होगी। बाद में निगम ने संधारण व्यय 32 करोड़ दिखाकर पानी की लागत 15.06 रूपये/घमी आकलित की है लेकिन यह भी काफी अधिक है। वैसे आमतौर पर देखा गया है कि वास्तविक लागत आकलित लागत से कहीं अधिक होती है।

मई 2003 में मोबाईल कंपनी रिलायंस ने मध्यप्रदेश में अपना बकाया 100 करोड़ वसूलने हेतु एक गिरोह को 2 करोड़ में ठेका दे दिया था। इसका पर्दाफाश गिरोह द्वारा एक बकायादार का अपहरण कर लेने पर हुआ था। वसूली का यही सिद्धांत यहाँ भी लागू किया जा सकता है। वसूली में बढ़ती गुण्डागर्दी के कारण जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को गुण्डे रखने से मना किया है।

प्रभाव

सब्सिडी कंपनियों को

बाजारीकरण के प्रमुख सिद्धांत है – पूरी लागत की वसूली, सब्सिडी खत्म करना और पैसा नहीं देने वाले को सेवा से बाहर कर देना। इसका अर्थ है कि जिनके पास पैसा नहीं है वे पानी के हकदार नहीं होंगे। मजेदार बात यह है कि निजी कंपनियों के दबाव में सरकार आम जनता को तो सब्सिडी देने का विरोध करती है लेकिन उद्योगों को करों में छूट तथा अन्य सुविधाएँ दिल खोल कर देती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण हेतु देश भर में करीब 5 लाख एकड़ कृषि भूमि किसानों से छीनकर उद्योगपतियों को उपलब्ध करवाने की योजना है। साथ ही पाँच सालों तक करों में छूट देने की भी नीति है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार इस छूट के कारण आगामी 4 वर्षों में सरकार को कर राजस्व में 1,02,621 करोड़ रूपयों की हानि उठानी पड़ेगी। सरकार के पास यदि किसी को राहत देने की गुंजाईश नहीं है तो वह है गरीब लोग।

नेता आश्वासन नही दे पायेंगें

सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि हमारे आश्वासन और घोषणावीर नेताओं को पानी के मुद्दे पर चुप्पी साधनी पड़ेगी। वे पानी की दरों के बारे में जनता को कोई

अब कोका कोला पिलाएगा पानी

कोका कोला अब मध्यप्रदेश में वर्षाजल संग्रहण के माध्यम से जलापूर्ति बढ़ाने तथा जल भंडारण की परियोजनाएँ चलाएगा। यूएन हेबीटाट ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की इस परियोजना को सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने में सहायक बताया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विषमता कम करने हेतु 8 विभिन्न लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं के तहत 2015 तक दुनिया में स्वच्छ पेयजल से वंचित लोगों की संख्या आधी करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी ओर राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश में कोका कोला के बाटलिंग प्लांट से अनेक गाँवों का भूजल सूख गया है और किसानों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। कंपनी के खिलाफ लोगों का संघर्ष जारी है।

आश्वासन नहीं दे पायेंगें क्योंकि सरकार ने सारे आश्वासन एडीबी को दे दिए है। मसलन एडीबी की शर्तों के अनुसार ही जलप्रदाय व्यवस्था संचालित की जायेगी। एडीबी को यह भी आश्वासन दे दिया गया है कि उसकी पूर्व सहमति के बिना नगरनिगम या सरकार किसी भी शर्त में बदलाव नहीं कर पायेंगी। इससे दुखद और क्या हो सकता है कि एक संप्रभु देश ने अपने कानून बनाने के अधिकार भी गिरवी रख दिए हैं।

सिंचाई क्षेत्र में कथित 'सुधार' हेतु मध्यप्रदेश को विश्व बैंक ने भी एक कर्ज दिया है जिसके तहत संचार तथा ऊर्जा क्षेत्र के समान 'जल नियामक आयोग' के गठन की शर्त रखी गई है। यह आयोग राज्य में पानी की दरों का निर्धारण करेगा। इससे सरकार अपने दर निर्धारण के अधिकार से भी वंचित हो जायेगी। योजना से संबंधित ठेकों में बोली लगाने का पात्र कौन होगा यह भी एडीबी ने पहले ही तय कर लिया है।

कर्मचारियों की छँटनी और निजीकरण

अधिक से अधिक लाभ कमाने हेतु प्रशासनिक खर्च कम करने पर जोर दिया जाता है। पिछले दिनों प्रतिनियुक्ति पर इंदौर नगरनिगम में पदस्थ कर्मचारियों को वापस मूल विभाग में भेजने का मामला उठा था। यह लागत खर्च कम करने की शर्त के तहत किया गया था। इसके अतिरिक्त हर वर्ग के कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। शर्त के अनुसार कर्मचारियों की छँटनी की जाएगी ताकि ठेके पर कम वेतन में कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सके। मानव श्रम के इस प्रकार अवमूल्यन के मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों और स्वयं कर्मचारियों को भूमिका लेनी होगी।

प्रदेश के नये सिंचाई काननू के तहत राज्य में जल उपयोगकर्ता समूह बनाकर जल वितरण कार्य उन्हें सौंपे जाने का प्रावधान है। ये समूह वसूली के लिए भी जिम्मेदार होंगे। एडीबी के इस कर्ज की शर्त में भी सार्वजनिक नलों के बिलों का भुगतान समुदाय की समिति द्वारा करने की बाध्यता है यह भी एक प्रकार से जल उपभोक्ता समिति ही होगी। संभव है ऐसी स्थिति में कोई ठेकेदार जल स्रोतों को ठेके पर ले और उसे नगरनिगम से भी ऊँची दरों पर बेचे।

सलाहकार चाँदी काटेंगें

ऐसे कर्जों से संचालित परियोजनाएँ सिर्फ कमाई के उद्देश्य से ही बनाई जाती हैं। ये वित्तीय एजेंसियाँ अपनी कमाई में सलाहकारों को भी भागीदार बनाती हैं ताकि उनके एजेंण्डे को आसानी से लागू किया जा सके। एडीबी परियोजना के तहत इंदौर को मिलने वाली कर्ज राशि 12.27 करोड़ डॉलर (524.65 करोड़ रूपये) में से 49 लाख डॉलर (22 करोड़ 5 लाख रूपये) का प्रावधान सलाहकारों के लिए

किया गया है। चारों शहरों में सलाहकारों पर 2 करोड़ 15 लाख डॉलर (96.30 करोड़ रूपये) खर्च किए जाएँगें। जबकि चारों शहरों की गरीब बस्तियों में मात्र 73 लाख डॉलर (32 करोड़ 85 लाख रूपयों) खर्च किए जाएँगे। रतलाम नगर निगम ने प्रस्ताव पारित कर सलाहकारों को 11 लाख डॉलर की भारी भरकम राशि देने पर असहमति दर्शाई थी।

बाजारीकरण के प्रमुख परिणाम

भ्रष्टाचार

वित्तीय एजेंसियों की कोशिश है कि सरकारी कल्याण कार्यक्रम भी बाजार के हिसाब से फायदे का धंधा होना चाहिए ताकि इन्हें फिर निजी कंपनियों को मुनाफे हेतु सौंपा जा सके। जल्दी एवं अधिक फायदे के लिए ये भ्रष्ट तरीके अपनाती है। ऐसे अनेक उदाहरण है जब बहुराष्ट्रीय निजी कंपनियों ने अपने लाभ सुनिश्चित करने हेतु भ्रष्ट और आपराधिक गतिविधियाँ की हैं। फ्रांस के तत्कालीन संचार मंत्री केरिंगनन तथा स्वेज लियोनेज के एक वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वत लेने तथा देने के आरोप में क्रमशः 4 और 1 वर्ष की सजा हुई। 24 सितंबर 2006 को कुख्यात अमेरिकी कंपनी एनरॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैफरी स्किलिंग को अमेरिका की एक संघीय अदालत ने 24 वर्ष 4 माह की सजा सुनाई। यह कंपनी 2001 में एक बड़े घोटाले के बाद बंद कर दी गई थी। दाभोल पॉवर परियोजना में इस कंपनी की धोखाधड़ी से पूरा देश वाकिफ है।

निजीकरण का बोझ

15 घमी मासिक जरूरत वाले इंदौर के एक औसत परिवार का सितंबर 2006 में पानी का बिल 60 रूपये था। मीटरीकरण के बाद सितंबर 2009 से उसका मासिक बिल 268.12 रूपये (160.50 रू॰ मूल बिल + 38 रू॰ कचरा प्रबंधन, 40.12 रू॰ जल-मल निकास और 30 रू॰ कर्ज वापसी शुल्क) हो जायेगा। यदि परिवार की आवश्यकता बढ़कर 21 घमी हो गई तो उसका बिल बढ़कर 453.87 रूपये (308.70 रू॰ मूल बिल + 38 रू॰ कचरा प्रबंधन, 77.17 रू॰ जल-मल निकास और 30 रू॰ कर्ज वापसी शुल्क) हो जायेगा। साथ ही पानी के बिल की अप्रत्यक्ष वसूली संपत्ति कर बढ़ा कर भी की जाएगी।

हालांकि यह बिल भी आम परिवार के लिए काफी अधिक है लेकिन जैसे ही व्यवस्था निजी हाथों में जायेगी मनमाने भाव बढ़ाये जाएँगें। मनीला शहर (फिलीपिंस) में 1997 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी 8.78 पेसो (स्थानीय मुद्रा) प्रति घमी की दर से पानी उपलब्ध करवा रही थी। मेनिलाड नाम की निजी कंपनी ने ठेका लेते समय 4.96 पेसो/घमी का आश्वासन दिया था। ठेका मिलने के बाद मेनिलाड ने पानी के भाव 15.46 पेसो/घमी कर दिए। बाद में 30 पेसो/घमी की माँग की। अनुबंध टूट गया लेकिन कंपनी द्वारा लिया गया सारा कर्ज सरकार यानी आम जनता के माथे आ पड़ा।

देश के लोकतांत्रिक ढाँचे का क्षरण

देश या राज्य में कौनसा कानून बने इसका निर्णय अब वित्तीय एजेंसियों करने लगी है। विश्व बैंक ने कर्ज के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह जल नियामक आयोग के गठन हेतु कानून का प्रारूप दिसंबर 2005 तक तैयार कर ले। मध्यप्रदेश ने यह काम कर लिया अब सिर्फ इसे विधानसभा की औपचारिक सहमति की आवश्यकता है। केन्द्र और विभिन्न राज्यों के 'ऊर्जा सुधार कानून' और जल नीतियाँ ऐसी ही शर्तों के तहत बनी हैं। यह हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और देश की संप्रभुता पर भयानक आघात है तथा निजी कंपनियों की सर्वोच्च

दर वृद्धि का सच

21 जुलाई 2006 को इंदौर नगर निगम आयुक्त ने एडीबी कर्ज की शर्तों का हवाला देते हुए महापौर परिषद को जलकर वृद्धि और 2009 तक शतप्रतिश मीटरीकरण का प्रस्ताव भेजा था। इसमें तर्क दिया गया था कि जलापूर्ति पर निगम का 90 करोड़ रूपये खर्च होता है जबकि इस मद में राजस्व प्राप्ति मात्र 8 - 10 करोड़ होती है। महापौर परिषद ने इस 27 जुलाई को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस मुधे पर नगरनिगम परिषद में 11 सितंबर को हंगामेदार लेकिन सतही चर्चा हुई। सत्तापक्ष राजस्व घाटे पर चिंता करते हुए वृद्धि का समर्थन कर रहा था जबकि विपक्ष इस वृद्धि को अनावश्यक बताते हुए विरोध कर रहा था। लेकिन इन दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों में से किसी ने भी एडीबी की उन शर्तों का विरोध नहीं किया जिनके कारण दरवृद्धि की जा रही थी। उल्लेखनीय है कि एडीबी ने पहले से लिखित में समझौता कर लिया है कि निगम को कब और कितनी दरें बढ़ानी है। जबकि महापौर सुश्री उमाशशि शर्मा ने लचर तर्क दिया कि घाटा उठाकर पानी नहीं पिलाया जा सकता।

वास्तव में नगरनिगम केवल पानी के राजस्व से नहीं चलता है। प्रवेशकर, बिक्री कर, संपत्ति कर जैसे कई विभाग ऐसे है जिनमें स्थापना खर्च के मुकाबले सैकड़ों-हजारों गुना अधिक आय होती है। महापौर के तर्क के आधार पर तो ऐसे समस्त करों (Taxes) को या तो कम कर देना चाहिए या फिर खत्म। कहने का अर्थ यह है कि पानी अपने आप में कोई स्वतंत्र विभाग न होकर नगरनिगम का एक विभाग है तथा सबसे बढ़कर नगरनिगम की सामाजिक जिम्मेदारी। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई सरकारी विभाग है जिनमें स्थापना खर्च नहीं निकल पाता लेकिन अन्य मदों से प्राप्त राशि का उपयोग कर इन्हें चलाया जाता है। यदि हर काम में आर्थिक फायदा देखा जायेगा तो फिर कल्याणकारी व्यवस्था और निजी कंपनी में क्या अंतर रह जायेगा?

यदि इंदौर में जल व्यवस्था की पूर्ण लागत वसूल करना हो तो कम से कम 10 गुना दर वृद्धि करनी होगी। इतनी बड़ी दर वृद्धि किसी के लिए भी संभव नहीं है। अतः एडीबी ने चतुराई से जल राजस्व घाटा पूरा करने का जरिया संपत्ति कर (Property Tax) को बनाया है। इसके पीछे एडीबी की मंशा इसे परंपरा बनाने की रही होगी ताकि निजीकरण के बाद इस शर्त को आधार बनाकर लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

सत्ता का प्रमाण है। इंदौर और अन्य शहरों में जल कर तथा अन्य करों की वृद्धि इसी श्रेणी में आती है।

विदेशी कंपनियाँ कानून बनाएँगी

कई बार तो ऐसे कानूनों का मसौदा तैयार करने का ठेका भी विदेशी सलाहकारों को देने हेतु सरकारों पर दबाव डाला जाता है। दिल्ली की प्रदेश सरकार ने जल कानून का प्रारूप बनाने का ठेका विदेशी सलाहकार कंपनी को दिया था। केवल इतना ही नहीं, देशव्यापी विरोध के बावजूद विदेशी सलाहकार कंपनियाँ अभी भी योजना आयोग में अनौपचारिक सलाहकार बनी हुई हैं।

स्थानीय जल संसाधनों की उपेक्षा

इस परियोजना के तहत पेयजल हेतु बड़े पाईपों के माध्यम से नर्मदा का पानी लाने की योजना है लेकिन स्थानीय जल संसाधनों के विकास का कोई जिक्र नहीं है। इंदौर में तालाबों और कुएँ–बावड़ियों की एक समृद्ध परम्परा रही है। इनके पुनरूद्धार तथा विकास से एक तो समस्या का स्थाई हल होगा साथ ही आर्थिक लागत भी कम ही लगेगी।

नर्मदा से इंदौर पानी लाने में प्रतिवर्ष करीब 50 करोड़ रूपये की बिजली खर्च होती है। यदि तीसरा चरण प्रारंभ हुआ तो इससे बिजली बिल में प्रतिवर्ष 82 करोड़ रूपये और जुड़ जायेंगे। हर साल 132 करोड़ रूपयों का बिजली बिल भरना वैसे ही मुश्किल है लेकिन यह राशि भी समय के साथ बढ़ती जायेगी। इसके बजाय यदि इसमें से कुछ राशि स्थानीय परम्परागत स्रोतों की मरम्मत करने में या जल संग्रहण आधारित नये ढाँचे तैयार करने में खर्च की जाये तो कुछ ही वर्षों में इंदौर न सिर्फ पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा बल्कि बिजली का गैरजरूरी खर्च भी बंद हो जाएगा। बिजली पर निर्भरता के कारण प्रायः बाधित रहने वाली पानी की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि इससे विभिन्न समुदायों के मध्य संभावित विवादों को टाला जा सकेगा। नर्मदा से पानी लेने पर आज कोई विवाद नहीं है लेकिन देश में जलविवादों को देखते

कचरा शुल्क प्रारंभ

महापौर परिषद द्वारा इंदौर में कचरा निपटान शुल्क आरोपित करने के निर्णय से एडीबी की एक और शर्त लागू हो गई है। हालांकि अभी यह सिर्फ व्यावसायिक संस्थानों तक सीमित है लेकिन एडीबी की शर्त के अनुसार आगे सभी उपभोक्ताओं पर लागू करना पड़ेगा।

परिषद के 2 अप्रैल 2007 के निर्णयानुसार संस्थान से निकलने वाले कचरे की मात्रा के आधार पर शुल्क निर्धारण किया गया है। शुल्क की दरें कम से कम 1 हजार रूपये/माह तथा अधिकतम 30 हजार रूपये/माह तक हो सकती है।

हुए निकट भविष्य में इस बात की कोई गारण्टी नहीं है।

ऐसे पूरी होंगी शर्तें

कर्ज की शर्तें पूरी करना अब नगरनिगम की कानूनी बाध्यता हो गई है इसलिए निगम द्वारा भूमिकाएँ बनाई जा रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि निगम द्वारा इस बात का आभास करवाया जा रहा है मानों निगम के सारे कर्मचारी मक्कार और भ्रष्ट है। निगम की 9 अक्टोबर 2006 की प्रेस नोट ने बताया गया कि निगम के 5,400 बेलदारों में से अधिकांश ड्यूटी से गायब रहते हैं। इसी प्रकार 19 सितंबर 2006 को वसूली कार्य में उदासीनता बरतने के आरोप में हरसिद्धि झोन के बिल कलेक्टर को निलंबित कर दिया। हालांकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि निगम कर्मचारियों की अकर्ण्यता के कारण ही अव्यवस्थाएँ है। दुनिया में जहाँ भी निजीकरण के पानी का पुनः सामुदायिकरण हुआ है वहाँ कर्मचारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक रही। वैसे कोई भी व्यवस्था अमले की कार्य संस्कृति और इच्छाशक्ति के बगैर सफल नहीं हो सकती।

प्रभाव व्यापक होंगें

इसी प्रकार के कर्जों की शर्तो के कारण सरकार को प्रदेश में न्यूनतम दैनिक मजदूरी से भी कम वेतन में शिक्षाकर्मियों और पंचायतकर्मियों की नियुक्ति, सभी विभागों में छँटनी, नई भर्तियों पर रोक, कर्मचारियों की पेंशन समाप्त करना, राज्य परिवहन निगम समेत अन्य सार्वजनिक निगमों को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा है।

एडीबी द्वारा 1999 में सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन (Public Resource Management) हेतु दिये गये कर्ज की तीसरी किश्त जारी करने के पूर्व किये गये मूल्यांकन की रपट में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा रोड़ टेक्स में वृद्धि करने, टोल रोड़ के विस्तार करने, मुफ्त बिजली समाप्त करने, किसानों के लिए बिजली महंगी करने,

नर्मदा तृतीय चरण का टेण्डर खुला मंजूरी फिलीपिन्स से मिलेगी

नर्मदा के तीसरे चरण के लिए इंदौर के इतिहास का सबसे बड़ा 254.59 करोड़ रूपये का टेण्डर 20 अप्रैल 2007 को खोला गया। नर्मदा के तीसरे चरण के तहत नर्मदा से 150 किमी लम्बी पाईप लाईन के जरिए इंदौर तक पानी लाया जाएगा।

परियोजना प्रबंधक प्रभात सांखला के अनुसार टेण्डरों की समीक्षा एडीबी के दिल्ली और मनीला (फिलीपिन्स) कार्यालय में होगी जहाँ तय किया जाएगा कि काम किसे दिया जाना है। बाद में महापौर परिषद अपनी स्वीकृति देगी।

(स्रोत-दैनिक भास्कर, 22 अप्रैल 2007)

कर्मचारियों की नई भर्ती बंद करने, 9,700 कर्मचारियों की छंटनी करने, निम्न वेतन पर शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा सार्वजनिक निगमों को बंद

इंदौर की बस्तियों में जलप्रदाय की स्थिति

बस्तियों में जलप्रदाय की स्थिति का आकलन करने हेतु हमने शहर की 10 बस्तियों में सर्वेक्षण तथा समूह चर्चाओं के आधार पर समस्याएँ जानने का प्रयास किया। समूह चर्चा और सर्वेक्षण के बाद सभी बस्तियों में यह बात सामने आई कि लोग पानी की तंगी से परेशान है। गैर नोटिफाईट बस्तियों में कोई सुविधाएँ नहीं है और लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। नोटिफाईड बस्तियों में भी आवश्यकता से काफी कम सार्व. नल या सार्व. ट्यूबवेल हैं।

पानी की व्यवस्था में घण्टों बिताने की वजह से लोगों का रोजगार प्रभावित होता है। पानी की जिम्मेदारी बच्चों को सौंपने से वे स्कूल नहीं जा पाते।

पानी सप्लाई का मतलब पीनेलायक पानी नहीं होता। बस्तियों की पाईपलाईनें जीर्ण-शीर्ण हैं जिनमें सीवेज मिल जाता है और नलों से गंदा बदबूदार पानी आता है। बस्तियों की सामाजिक/राजनैतिक हैसियत कम होने के कारण पाईपलाईनों की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जाता।

नब्बे के दशक में इंदौर विकास प्राधिकरण को विदेशी विकास सहायता (ओडीए) के तहत 64 करोड़ का अनुदान मिला था। प्राधिकरण ने इस राशि को शहर की 174 बस्तियों में बुनियादी सुविधाएँ विकसित करने में खर्च किया था। लेकिन बस्तियों में इतनी भारी भरकम राशि से हुआ विकास कहीं नजर नहीं आता।

ट्यूबवेलों से पानी की टंकी भरी जाती है जिससे लोग लाईन में लगकर पानी लेते हैं। गर्मी के दिनों में पानी का संकट चरम पर होता है और लोगों को महँगा पानी खरीदना पड़ता है।

चर्चा में लोगों ने नियमित सप्लाई की आवश्यकता तो बताई लेकिन किसी भी परिवार की क्षमता 40 रूपये/माह से अधिक भुगतान करने की नहीं थी। सभी बस्तियों में लोगों ने इस बात पर गुस्सा प्रकट किया कि सरकार पानी जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं करवाना चाहती।

शेखर नगर

ओडीए से विकसित इस बस्ती की जनसंख्या करीब 3,300 है। इस बस्ती के अधिकांश लोग कचरा बीनकर अपनी आजीविका चलाते हैं। हालांकि यह बस्ती शहर के बीच है फिर भी पेयजल की पर्याप्त सुविधा नहीं है। सार्वजनिक नल में पहले गंदा पानी आता है फिर साफ पानी आता है।

काटजू कॉलोनी

करीब 1,300 की आबादी वाली यह बस्ती निजी भूमि पर बसी है। जलप्रदाय 3 सार्व. नलों द्वारा एक दिन छोड़कर होता है। करीब एक घण्टे तक अपेक्षाकृत कम दबाव से जलप्रदाय होता है। सार्वजनिक व्यवस्था से पानी की पूर्ति नहीं होने के कारण कुछ परिवारों को 70 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से निजी कुएँ से पानी लेना पड़ता है।

नया बसेरा

एबी रोड़ पर स्थित इस कॉलोनी की आबादी 1,800 है। बस्ती के 7 सार्व. नलों में से 2 बंद है। 2 बंद सार्व. ट्यूबवेल भी है। एक दिन

करने या उनके निजीकरण पर सरकार को शाबाशी दी थी। जब शुरूआत ही इतनी भयावह है तो भविष्य का नजारा क्या होगा?

छोड़कर करीब डेढ़ घण्टे तक जल प्रदाय होता है। नलों पर लम्बी लाईन होने से कामकाजी लोगों को काफी परेशानी होती है। पैसा देकर पानी खरीदना इनके लिए मुश्किल है। यहाँ के युवाओं ने सवाल किया कि क्या भारत की विकास दर गरीबों को लूटकर ही बढ़ाई जायेगी?

जनसेवा नगर

अन्नपूर्णा रोड़ के निकट स्थित इस बस्ती की जनसंख्या करीब 1,000 है। इस बस्ती में पीएचई विभाग के कर्मचारी होने के कारण यहाँ सार्वजनिक नल प्रतिदिन आते है। लेकिन निजी नलों से भी पानी लेना पड़ता है। बस्ती ओडीए से विकसित है।

ईश्वरचंद विद्यासागर नगर

750 की आबादी वाली यह बस्ती रिंग रोड़ पर स्थित है। जिसमें किसी प्रकार की शासकीय सेवाएँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ पानी की बहुत गंभीर समस्या है। करीब 1 किमी दूर स्थित कॉलोनी से पानी लाना पड़ता है। गर्मी के दिनों में करीब 2 किमी दूर स्थित महादेव नगर से पानी लाना पड़ता है। पानी की व्यवस्था में ही लोगों का काफी समय खर्च हो जाता है।

शांति नगर

यह बस्ती भी रिंग रोड़ पर स्थित है। 8000 की जनसख्या वाली बड़ी बस्ती के लिए मात्र 5 सार्वजनिक ट्यूबवेल है। प्रत्येक परिवार से ट्यूबवेल रखरखाव हेतु 10 रूपये/माह लिए जाते हैं।

भीमनगर

1,400 की जनसंख्या वाली इस नोटिफाईड बस्ती के अच्छे विकास के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण को ओडीए का पुरस्कार मिला है। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जॉन मेजर इस बस्ती को देखने स्वंय आ चुके हैं। लेकिन यहाँ मात्र 2 सार्वजनिक नल है जिनमें एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई होता है।

रमाबाई नगर

1,000 की जनसंख्या वाली इस बस्ती को 2 बार विस्थापित किया जा चुका है। पहले लोगों को कृष्णपुरा से झील बनाने हेतु हटाया गया बाद में जब वे शेखरनगर में बसे तो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने हेतु पुनः हटा दिया गया। दोनों बार विस्थापित करते समय नई बस्ती में सारी सुविधाएँ देने का आश्वासन दिया गया था। इस बस्ती में केवल 1 सार्व. ट्यूबवेल है। पूर्ति नहीं होने पर 1 किमी दूर से पानी लाना पड़ता है। कोई शासकीय सेवाएँ उपलब्ध नहीं है।

चिकित्सक नगर

600 की जनसंख्या वाली यह बस्ती यह चिकित्सक नगर के 15% स्लम क्षेत्र पर बसी है। पेयजल हेतु 1 सार्व. नल और 1 सार्व. ट्यूबवेल है जो बंद है। 2 किमी दूर बाम्बे अस्पताल के पीछे से पानी लाना पड़ता है।

अन्नाभाऊ साठे नगर

1,000 की जनसंख्या वाली इस बस्ती में 1 हेण्डपम्प और 1 सार्व. ट्यूबवेल है। लेकिन दोनों ही बंद है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नगरनिगम की कानूनी बाध्यता होने के बावजूद लोगों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। निजीकरण होने के बाद इनकी क्या हालत होगी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। स्पष्ट है कि एडीबी परियोजना से इन गरीब बस्तियों को कोई लाभ नहीं होगा।

(सर्वेक्षण काल–दिसंबर 2006)

इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्तीय संस्थानों की शर्तों से आम आदमी का जीना मुहाल हो जायेगा। इसलिए इन जनविरोधी शर्तों के खिलाफ कड़ा संघर्ष अपरिहार्य हो गया है। साथ ही सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों के बारे में आम धारणा है कि वे काम नहीं करना चाहते, वे भ्रष्ट भी हैं जिसके कारण आम जनता त्रस्त है। निजीकरण से कर्मचारी वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होगा। कर्मचारियों को निजीकरण के खिलाफ लड़ाई अपनी छवि सुधारकर लड़नी चाहिए। अन्यथा जब उन्हें नौकरी से निकाला जायेगा तब उन्हें जनता का सहयोग एवं सुहानुभूति मिल सकेगी, इसमें संदेह ही है। उदाहरण हमारे सामने है। राज्य परिवहन निगम को खत्म कर दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिग और बीमा क्षेत्र भी निजीकरण से अछूते नहीं रह गये हैं। संविदा शिक्षक और अन्य कर्मचारी नियमितीकरण की माँग के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें आम जनता की सुहानुभूति मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अतः संक्षेप में निजीकरण की के खिलाफ की लड़ाई आम जनता और कर्मचारियों का साझा संघर्ष है।